सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ़ 26, सोमवार, *शाके* 1945-जुलाई 17, 2023
Asadha 26, Monday , Saka 1945- July 17, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 01, 2023

राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद

संख्या प. 30 (1)उद्योग/ग्रुप-1/2019 :- राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.11.2019 द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत राज्य में निर्यात संबंधी नियमन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना के क्लॉज **6(a),** क्लॉज **9(a)** एवं क्लॉज **9(C)** में उल्लेखित प्रावधानों में निम्नानुसार एतद्द्वारा संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्लॉज **6(a)** पदेन सदस्य:- राज्य के निम्न लिखित अधिकारी परिषद के पदेन सदस्य होगे:-

I. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार

II. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, एमएसएमई

III. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि0, जयपुर।

IV. आयुक्त, उद्योग, राजस्थान

V. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, कृषि विभाग

VI. आयुक्त/निदेशक, पर्यटन विभाग

VII. आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन

क्लॉज **9(a) :-** परिषद के लिए निर्णय लेने के लिए एक गवर्निंग बोर्ड होगा, इसमें अधिकतम 28 सदस्य होगे एवं राजस्थान सरकार के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त शेष सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जो निम्नानुसार होगा:-

I. अध्यक्ष

II. उपाध्यक्ष

III. कोषाध्यक्ष

IV. 18 चुने गए सदस्य

V. राजस्थान सरकार के 7 पदेन सदस्य

क्लॉज **9(C)** :- परिषद के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों का सह-चयन कर सकते है। गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष का चयन परिषद सदस्यों में से किया जाएगा। जिनका कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा। कोई भी व्यक्ति लगातार एक से अधिक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में दो से अधिक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नहीं होगा। परन्तु प्रथम निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

पूनम प्रसाद सागर,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।